भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-221

सोमवार, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 (शक)

बिहार में रोजगार परिदृश्य

221. डॉ. आलोक कुमार सुमनः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बिहार के गोपालगंज जिले सहित देश में रोजगार की स्थिति क्या है;

(ख) उक्त जिले में अभी भी रोजगार की तलाश कर रहे शिक्षित लोगों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) बिहार के गोपालगंज जिले सहित देश में सृजित कुल रोजगार की संख्या कितनी है; और

(घ) बिहार में गोपालगंज जिले में शिक्षित युवाओं हेतु रोजगार सृजन के लिए चल रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) एवं (ख): राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, देश में 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों (जिसमें औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों क्षेत्र शामिल हैं) की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) तथा अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) नीचे दिया गया है।

वर्ष	2017-18*(पीएफएलएस)	
	अखिल भारत	बिहार
श्रम बल भागीदारी दर	49.8	38.2
कामगार जनसंख्या अनुपात	46.8	35.5

(ग) एवं (घ): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में विशेषकर आरक्षित श्रेणियों हेतु रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। बिहार में रोजगार सृजन जिसमें गोपाल गंज भी शामिल है, का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

	सृजित रोजगार		
योजना/वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20
पीएमईजीपी के तहत सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)	18456	26424	6224 (31.10.19 तक)
एमजीएनआरईजीएस के तहत सृजित मानव दिवस (करोड़ में)	8.17	12.34	7.54 (04/11/19 तक)
प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार में नियोजित अभ्यर्थियों डीडीयू-जीकेवाई (व्यक्तियों की संख्या)	4859	5851	3166 (के अनुरूप 04.11.19 अक्तूबर, 19 तक)
कौशल प्रशिक्षित व्यक्तियों को दिया गया नियोजन डीएवाई-एनयूएलएम (व्यक्तियों की संख्या	1546	546	-

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार, सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। इस योजना का दोहरा लाभ है। जहां एक ओर, नियोक्ता को प्रतिष्ठानों में श्रमिकों के रोजगार आधार को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, वहीं दूसरी और इन श्रमिकों की संगठित क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच होगी, 11 नवम्बर, 2019 तक इस योजना में 1.22 करोड़ लाभार्थियों को लाभ दी गया है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें रोजगार चाहने वालों हेतु आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

स्टार्ट-अप इंडिया भारत सरकार की एक फ्लैगशीप पहल है। यह एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना चाहती है, जो व्यापार आरंभ करने को संवर्द्धित करने, धारणीय आर्थिक विकास को प्रेरित करने तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर को सृजित करने में सहायक है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है। युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने तथा नियोजन की सुविधा भी प्रदान करने के लिए मंत्रालय/विभाग/राज्य विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चलाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) जैसी योजनाएं, जिनमें सरकार शिक्षुओं को देय वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है, भी रोजगार प्राप्त करवाने हेतु युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाती हैं।

*****